जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट–प्लान) की 189वीं बैठक दिनांक 05.02.2013 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में **"चिन्तन"** कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:–

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री जे. बी. जाखड, निदेशक आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. जी.एल. शर्मा, उप निरीक्षक जनरल पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री नीरज तिवाडी,वरिष्ठ नगर नियोजक (I), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे–

1. चन्द्र शेखर पाराशर, अति. मुख्य नगर नियोजक(एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री प्रेम शंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक,(III) जविप्रा, जयपुर।
3. श्रीमती आशा अवस्थी, वरिष्ठ नगर नियोजक,(एम.पी.), जविप्रा, जयपुर।
4. दिनेश पंवार, उपायुक्त, जोन–4, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री केसरमल मीणा, उपायुक्त जोन–9, जविप्रा, जयपुर।
6. ओ.पी. शर्मा, उप नगर नियोजक जोन–11, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती उषा जैन, जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:–

एजेण्डा संख्या :–1

189 / 05.02.2013

विषय:– बी.पी.सी.(एल.पी.) बैठक कमांक 188वीं दिनांक 11.01.2013 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् कार्यवाही विवरणों की पुष्ठि की गई।

एजेण्डा संख्या :–2

189 / 05.02.2013 ऐ.सी.टी.पी (एम.पी)

विषय:– रोड सेक्टर प्लान 68 के अनुमोदन बाबत्।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि कुछ सडकों को पास–पास दर्शाया गया है अतः उनके औचित्य का स्थल निरीक्षण कर पुनः बी.पी.सी. के समक्ष रखा जायें।

एजेण्डा संख्या :–3

189 / 05.02.2013 ऐ.सी.टी.पी (एम.पी)

विषय:– पृथ्वीराज नगर (दक्षिण) सेक्टर–19 में विकसित 30 फिट चौडी सडक को प्रस्तावित 80 फिट चौडी सडक में समायोजित करने बाबत् ।

समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि निदेशक आयोजना प्रकरण के परिपेक्ष्य में स्थल निरीक्षण कर अपनी टिप्पणी समिति को प्रस्तुत करेंगे।

एजेण्डा संख्या :–4

189 / 05.02.2013 (जोन–4)

विषय:– मैसर्स श्री राम स्पाईसेज प्रा0लि जरिये निदेशक श्रीमती गोपाली देवी अशोक वाटीका बी–10, बी–11 / 49, बी–12 / 49 का आंशिक भाग व भूखण्ड संख्या बी–1, बी–1ए, बी–1बी, बी–2, बी–3 केशव विहार के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श कर भू.सं. बी.–10, बी–11 / 49 बी–12 / 49 का आंशिक भाग व भूखण्ड संख्या बी–1, बी–1ए, बी–1बी, बी–2, बी–3 केशव विहार का पुर्नगठन करने का निम्न शर्तो के साथ स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:–

1. पुर्नगठित भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक है, इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावें।
2. सैटबैक व भवन पैरामीटर्स जविप्रा भवन विनियम 2010 व समय–समय पर जारी भवन मानदण्डों के अनुसार होगें।

एजेण्डा संख्या :–5

189 / 05.02.2013 (जोन–4)

विषय:– श्री विजयपाल आर्य पुत्र स्व0 श्री कुम्भाराम आर्य द्वारा इन्कमटेक्स कॉलोनी के एकल पट्टे बाबत् ।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि आवेदक की स्वामित्व की खातेदारी भूमि का उपविभाजन प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किया जावें।

एजेण्डा संख्या :–6

189 / 05.02.2013 (जोन–4)

विषयः– छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स. समिति की योजना माडल टाउन के भू.सं. 118 के खाली भूखण्ड में से भू.सं. 118बी अंकित करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि समीपवर्ती भू.सं. 118 की पत्रावली का परीक्षण उपायुक्त जोन स्तर से किये जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें, तब तक प्रकरण स्थगित रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–7

189 / 05.02.2013 (जोन–4)

विषयः– राजेश गुप्ता योजना माथुर वैश्य नगर भूखण्ड संख्या 19 के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पूर्व में प्रश्नगत भूखण्ड के दाहिनी ओर भू.सं. 24 में जविप्रा द्वारा रास्ते को 13 फिट दर्शाते हुए साइट प्लान जारी किया गया था व प्रश्नगत ब्लॉक में तीन भूखण्डों के उपरान्त 30 फिट चौडी सडक स्थित है तथा सहकारी समिति द्वारा भी अपने प्रस्तुत ले आउट प्लान में 13 फिट चौडा रास्ता ही दर्शाया गया था। अतः उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भू.सं. 19 व 24 के मध्य पूर्व में स्वीकृत के अनुसार 13 फिट रास्ता स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :–8

189 / 05.02.2013 (जोन–6)

विषयः– खुदाबादी सोनार गृ.नि.स. समिति की योजना मुरलीपुरा के भू.स. 108 क्षेत्रफल 291.6 व.ग. के नियमन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि पूर्व में इस योजना में भू.सं. 108, 60 फिट सडक पर था, इसलिए सडक क्षेत्र में भूमि जाने के पश्चात् इस भूखण्ड में आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 22.02.01 में भू.सं. 104 व 108 को अस्वीकृत किया गया था किन्तु बी.पी.सी. की बैठक दिनांक 24.07.02 में इन भूखण्डों के सामने स्वीकृत 60 फिट सडक को 40 फिट किए जाने के संबंध में निर्णय लिए जाने के कारण भू.सं. 108 में आच्छादित क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। अतः विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. 108 व भू.सं. 104 को स्वीकृत कर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या :—9

189 / 05.02.2013 (जोन—6)

विषयः— तोपखाना देश गृ.नि.स. समिति की योजना रामेश्वरधाम के भू.सं. 176, 177, 178, 179, 192, 193, 194, 195 का पुर्नगठन करने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भू.सं. 176, 177, 178, 179, 192, 193, 194, 195 के सभी भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 3110.06 व.ग. होता है, इसलिए इन भूखण्डों का पुर्नगठन स्वीकृत कर निम्न शर्तो के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः—

1. पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक है इसलिए राज्य सरकार से स्वीकृति ली जावे।
2. पुर्नगठित भूखण्डों के सैटबैक व पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व समय—समय पर प्राधिकरण द्वारा किए गये संशोधित विनियमों के अनुरूप रहेगें।

एजेण्डा संख्या :—10

189 / 05.02.2013 (जोन—6)

विषयः— म्यूचल गृ.नि.स. समिति की योजना 5—सी के संशोधित योजना अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को सर्वप्रथम बी.पी.सी(एल.पी.) की बैठक क्रमांक 187 दिनांक 12.12.12 में विचारार्थ रखा गया था। विचार विमर्श कर समिति द्वारा निदेशक नगर आयोजना व उपायुक्त जोन द्वारा मौके का निरीक्षण कर आगामी बैठक में प्रकरण को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था।

बी.पी.सी. के निर्णयानुसार निदेशक नगर आयोजना, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(एल.पी.) वरिष्ठ नगर नियोजक एवं सहायक नगर नियोजक (जोन 6) व जोन के अमीन द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। मौके की स्थिति के अनुसार भवानी निकेतन स्कूल के अन्दर नाला बना हुआ है तथा अन्दर सडक बनाया जाना संभव नहीं है इसलिए मौका निरीक्षण के दौरान सभी सदस्यों का मत अनुसार भवानी निकेतन स्कीम की बाउन्ड्रीवाल के बाहर आम रास्ते को ही 30 फिट किया जावें तथा 30 फिट सडक किए जाने हेतु सडक के दोनों ओर से बराबर—बराबर भूमि जाने का निर्णय लिया गया चूंकि मौजुदा सडक आगे मौके पर मकानों का निर्माण होने के कारण आगे नहीं निकाली जा सकती है अतः मौके की वर्तमान स्थिति को यथावत रखा जावें।

एजेण्डा संख्या :–11

189/05.02.2013 (जोन–6)

विषय:– ओमशिव गृ.नि.स. समिति की योजना श्रीनिवास नगर के भू.सं. बी–1, बी–2, बी–3, बी–4, बी–5 के पुर्नगठन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विगर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भू.सं. बी–1, बी–2, बी–3, बी–4, बी–5 के कुल भूखण्डों का क्षेत्रफल 3010.19 व.ग. होता है। इन भूखण्डों का पुर्नगठन निम्न शर्तों के अनुसार स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया:–

1. पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति लि जावें।
2. पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक व पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनियमों में किए गये संशोधन के अनुसार देय होगे।

एजेण्डा संख्या :–12

189/05.02.2013 (जोन–9)

विषय:– भीमसैन गोगिया पुत्र शिव दयाल गोगिया की भूमि ग्राम सांगोनर तह. सांगानेर के खसरा नं. 3945, 3946/4911 कुल रकबा 0.19 हैक्ट0 भूमि अवाप्त किये जाने के पश्चात् शेष भूमि क्षेत्र 0.1 हैक्ट. का व्यावसायिक (एकल पट्टा) मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गयें:–

1. आवेदक की भूमि में से 200'–200 फिट सडकों हेतु दोनों साइडों से आवश्यकता अनुसार भूमि समर्पित करवाई जावे।

2. भूमि समर्पण उपरान्त व्यवसायिक भूखण्ड क्षेत्र 773.13 व.मी. प्राप्त होता है जिसमें सामने का सैटबैक 15 फिट रखा जावें।

3. 200 फिट सडक में समर्पित भूमि का नियमानुसार एफ.ए.आर दिया जावें।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति उपरान्त लीजडीड जारी की जावें एवं अवाप्त शुदा भूमि ख.न. 3945 में मौके पर निर्मित 15 दुकानों को हटाने के लिए उप महानिरीक्षक (प्रवर्तन) द्वारा पृथक से कार्यवायी की जावें।

<u>एजेण्डा संख्या :–13</u>

189 / 05.02.2013 (जोन–9)

विषयः– निजी खातेदार योजना शिवशक्ति नगर विस्तार के भू.सं. 13 से 18 तथा 22 से 27 के पुर्नगठन के अनुमोदन बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. 13 से 18 तथा 22 से 27 का पुर्नगठन निम्न शर्तो के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लियाः–

1. पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।
2. पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक व पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनियमों में किए गये संशोधन के अनुसार देय होगे।

<u>एजेण्डा संख्या :–14</u>

189 / 05.02.2013 (जोन–11)

विषयः– आवेदक श्रीमती शशि गुप्ता निजी खातेदार की आवासीय योजना में भू.सं. 15, 16, 17, 22, 23, 24, 24ए का गंगा विहार भांकरोटा तह. सांगानेर के भूखण्डों का पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श पश्चात् भू.सं. 15, 16, 17, 22, 23, 24, 24ए का पुर्नगठन निम्न शर्तो के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गयाः–

1. पुर्नगठित भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति ली जावें।
2. पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक व पैरामीटर्स जयपुर विकास प्राधिकरण विनियम 2010 व प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनियमों में किए गये संशोधन के अनुसार देय होगे।

<u>एजेण्डा संख्या :–15</u>

189 / 05.02.2013 (जोन–12)

विषयः– फ्रैण्डस कोलोनी बाबा आर.एन. गौड गृ.नि.स. समिति के भूखण्ड संख्या सही करवाने बाबत्।

प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। स्वीकृत योजना मानचित्र के भू.सं. 1ए, 2ए, 3ए, 4ए, व 5ए का उल्लेख है जबकि सदस्य सूची में भू.सं. ए1, ए2, ए3, ए4, ए5 का अंकन

है। इसलिए स्वीकृत योजना मानचित्र में सदस्य सूची के अनुसार भूखण्ड संख्या ए1, ए2, ए3, ए4, ए5 अंकित कर नियमन करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

11/2/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।

क्रमांक :– जविप्रा / सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी) / बीपीसी / 2013 / डी– 055
दिनांकः– 11/2/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक नगर आयोजना जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त (पूर्व) / (पश्चिम) / (एलपीसी) / (भूमि), जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
6. उपायुक्त जोन.......जविप्रा, जयपुर।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर। विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (भूगतान), जविप्रा, जयपुर।
10. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।

11/2/13

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले–आउट प्लान)
जविप्रा,जयपुर।